न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर 08 / 2017

उनवान प्रकरण

रामबाबू पुत्र बैजनाथ प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी पटपरा रोड शहर धौलपुर
.....अपीलार्थी

बनाम

1—मुरारीलाल । पुत्रगण बैजनाथ प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी कान कुन्जों की
2—कामता प्रसाद । गली मेहदवार राजाखेडा जिला धौलपुर
3—जमुनादेवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी कान कुन्जों की गली मेहदवार राजाखेडा जिला धौलपुर
4—हरीशंकर । पुत्रगण राजेन्द्र प्रसाद जातिगण ब्राहम्ण निवासी
5—गुडडू उर्फ कृष्णकुमार । कानकुन्जों की गली मेहदवार राजाखेडा धौलपुर
6—श्रीमती सुधा पत्नी स्व. नारायन जाति ब्राहम्ण निवासी कान कुन्जो की गली मेहदवार राजाखेडा जिला धौलपुर
7—प्रदीप । पुत्रगण स्व0 नारायन जातिगण ब्राहम्ण निवासी कान कुन्जों की गली
8—दीपक । मेहदवार राजाखेडा जिला धौलपुर
9—नीतू पुत्री स्व. नारायन पत्नी भीखा मिश्रा जाति ब्राहम्ण निवासी पंचगॉव तहसील व जिला धौलपुर
10—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर
.....प्रत्यर्थीगण

प्रार्थना पत्र आधीन आदेश 7 नियम—10 व 10ए जा0दी0 सहपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थिति :—
अपीलान्ट की ओर से :— श्री श्रीगोपाल शर्मा एडवोकेट
प्रत्यर्थी सं01,2, 5लगा08 **की ओर से:—** श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा एडवोकेट

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

निर्णय दिनांक 21.2.2018

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र आधीन आदेश 7 नियम–10 व 10ए जा0दी0 सहपठित धारा 151 जा0दी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त उनवानी अपील में अपीलाधीन निर्णय विवादित नामान्तकरण के बावत तहसीलदार राजाखेडा द्वारा पारित किया गया है जिसके विरूद्व वर्तमान अपील को सुनने का अधिकार न्यायालय श्रीमान में निहित न होकर श्रीमान कमिश्नर महोदय भरतपुर को है इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी मुरारी वगैरा द्वारा दिनांक 08.06.2017 को न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय श्रीमान में अपील पेश करने सम्बधी त्रृटि अपीलार्थी की सदभावी भूल है। चूंकि अपील के श्रृवणाधिकार प्रत्यर्थीगण के अनुसार न्यायालय श्रीमान को नहीं है इसलिये वर्तमान अपील को न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय में पेश करने के लिये लौटाया जाना एवं उपस्थित पक्षकारों को सम्बधित अपील न्यायालय कमिश्नर महोदय भरतपुर के समक्ष उपस्थित होने के लिये पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रा0पत्र की नकल प्रत्यर्थीगण के अभिभाषक को दिलाई गई। तदुपरान्त अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करते हुये सीधी बहस करने बावत् निवेदन किया। बहस प्रार्थना पत्र अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय श्रीमान में अपील पेश करने सम्बधी त्रृटि अपीलार्थी की सदभावी भूल है। चूंकि अपील के श्रृवणाधिकार प्रत्यर्थीगण के अनुसार न्यायालय श्रीमान को नहीं है इसलिये वर्तमान अपील को न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय में पेश करने के लिये लौटाया जाना एवं उपस्थित पक्षकारों को सम्बधित अपील न्यायालय कमिश्नर महोदय भरतपुर के समक्ष उपस्थित होने के लिये पाबन्द किया जावे।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 8.6.2017 को उक्त उनवानी अपील में प्रारम्भिक आपत्ति पेश की है। उनका तर्क है कि प्रस्तुत उक्त अपील में तहसीलदार राजाखेडा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.3.2017 को राजास्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत भू–अभिलेख अधिकारी के हैसियत से पारित किया है जिसकी अपील माननीय न्यायालय को नहीं होती बल्कि धारा 135(2) के अधीन पारित आदेश की अपील निदेशक, भू–अभिलेख अधिकारी (संभागीय आयुक्त) को होती है। यह अपील माननीय न्यायालय में संधारणीय नहीं है। उन्होने अपने तर्को के सर्मथन में आर आर टी 2010(2) पेज 1322 एवं आर आर टी 2016(1) पेज 726 के न्यायिक नजीरें पेश कर प्रस्तुत अपील को पोषणीय नहीं मानते हुये खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने प्रस्तुत प्रा0 पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की वहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया।प्रस्तुत उक्त अपील में तहसीलदार राजाखेडा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.3.2017 जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से पारित

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

किया है जिसके विरूद्व वर्तमान अपील को सुनने का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त को है। इस न्यायालय में अपील पेश करने सम्बधी त्रृटि अपीलार्थी की सदभावी भूल है। इसलिये वर्तमान अपील को अपीलान्ट को लौटाया जाना न्यायसंगत है। इस प्रकार अपीलान्ट का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आधीन आदेश–7 नियम–10 व 10ए जा0दी0 सहपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वर्तमान अपील को अपीलान्ट को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। मूल अपील एंव उसके साथ सलग्न दस्तावेज, अपीलान्ट को लौटाई जाकर उसकी फोटोप्रति पत्रावली में रखी जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)
धौलपुर